INDIAN POLITY SHORT NOTES

LECTURE 7

Parliament-2

(संसद-2)

संसद में विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 107-111) (Legislative Procedure in Parliament)

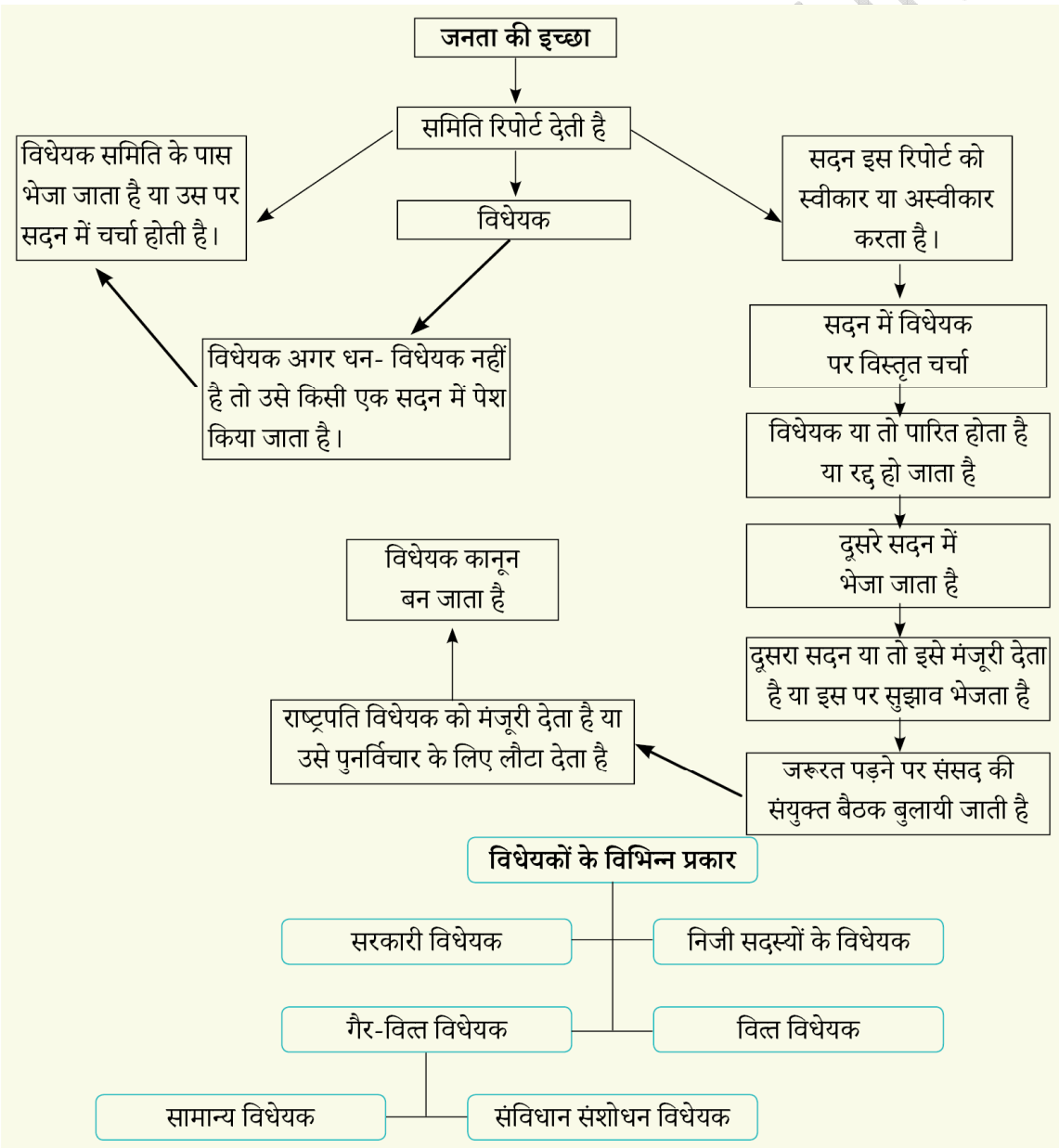

सरकारी विधेयक बनाम गैर-सरकारी विधेयक		
क्र.	**सरकारी विधेयक**	**गैर-सरकारी विधेयक**
1.	इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।	इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।
2.	यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है (सत्तारूढ़ दल)।	यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है।
3.	संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है।	इसके संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है।
4.	सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
5.	सदन में पेश करने के लिए सात दिनों का नोटिस होना चाहिए।	सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए एक माह का नोटिस होना चाहिए।
6.	इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है।

साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर		
क्र.	**साधारण विधेयक**	**धन विधेयक**
1.	इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी या तो मंत्री द्वारा या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरः स्थापित किया जा सकता हैं।	इसे सिर्फ लोकसभा में मंत्री द्वारा पुरः स्थापित किया जा सकता है।
2.	यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुर: स्थापित होता है।	इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुर: स्थापित किया जा सकता है।
3.	इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती।	इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है।
4.	इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है।	इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती।

COMPETITION COMMUNITY

5.	इसे राज्यसभा अधिकतम छह माह के लिए रोक सकती है।	इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है।
6.	इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है।	इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता। इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है ।
7.	इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। (यदि इसे मंत्री ने पुरःस्थापित किया हो।)	इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
8.	इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है।	इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है।

निधियां (Funds)

भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है –

1. भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)

2. भारत की लोकलेखा निधि (अनुच्छेद 266)

3 भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)

1) भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266) [Consolidated Fund of India (Article 266)]

यह एक ऐसी निधि है, जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं–

(क) भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व

(ख) राजकोष विधेयकों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण,

(ग) ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि, भारत की संचित निधि का भाग होगी।

संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान की माँगो के द्वारा ही व्यय किया जाता है।

COMPETITION COMMUNITY

2) **आकस्मिक निधि (अनुच्छेद 267) [Contingency Fund (Article 267)]**

अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नही निकाला जा सकता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में जब सरकार के समक्ष कुछ आकस्मिक खर्च आ जाते है जिसके लिए संसद की अनुमति लेने का समय नही होता, उन खर्चो की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते है। किन्तु बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है।

3) **लोकलेखा निधि [Public accounts fund]**

सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन-देन जैसे - भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है, जिनके सम्बन्ध में सरकार लगभग एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। इस तरह से प्राप्त रकमों एवं उसके संवितरण को लोक लेखा निधि में दिखाया जाता है। सामान्यतया लोक सेवा निधियाँ सरकार की नहीं होतीं। अत: इस निधि से अदायगी करने हेतु संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता।

प्रश्नकाल

- संसद की कार्यवाही का सबसे पहला घंटा
- सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं
- तीन प्रकार के प्रश्न:- तारांकित ,अतारांकित एवं अल्प सूचना
- लोकसभा में प्रति सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न
- प्रश्नों की सूचना मंत्रियों को न्यूनतम 5 दिन पहले
- प्रश्नों की सूचना बैठक के 10 - 21 दिन पहले ,अल्प सूचना में 10 दिन से कम
- एक दिन मे अधिकतम प्रश्न :- तारांकित – 20, अतारांकित – 230

स्थगन प्रस्ताव

- अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए लाया जाता है
- इसके द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित कर लोक महत्त्व के उस मामले पर चर्चा की जाती है
- 50 सदस्यों का का समर्थन आवश्यक है

COMPETITION COMMUNITY

- चर्चा 2 ½ घंटे से कम नहीं होगी
- केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा
- न्यायालय में विचाराधीन अथवा उस सत्र में पहले ही चर्चा किये गए मुद्दे पर चर्चा नहीं

क्र.	निंदा प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
1.	लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है।	लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
2.	यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाया जा सकता है।	यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध ही लाया जा सकता है।
3.	यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है।	यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है।
4.	यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है।	यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है।

कटौती प्रस्ताव/समापन प्रस्ताव

इसका मुख्य उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के लिये लाया जाता है।

प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा को बीच में ही रोक कर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है।

कटौती प्रस्ताव चार प्रकार के हो सकते हैं-

i. **साधारण कटौती** - किसी मामले में पर्याप्त चर्चा हो जाने पर उसे मतदान के लिए रखा जाता है।

ii. **घटकों में कटौती** - इस मामले में, किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे सकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद-विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है।

iii. **कंगारू कटौती** - इस प्रकार के प्रस्ताव में, केवल महत्वपूर्ण खण्डों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खण्डों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है।

iv. **गिलोटिन कटौती** - जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है।

COMPETITION